

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector-uttarkashi

Dated-19/10/2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.525 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works department...chinyalisour uttarkashi for road construction in uttarkashi district** falls within jurisdiction of rountal. village (s) in chinyalisour tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 1.525 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

(**Prakash Baurai**)
District Magistrate-uttarkashi

दिनांक 17.03.15 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खालसा गांव

योजना का नाम— राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के खाण्ड गांव से राँतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्रमंक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	गुमराव बाबू	गुमराव बाबू
②	बाबू बाबू	बाबू बाबू
③	राम बाबू	राम बाबू
④	हरदास बाबू	हरदास बाबू
⑤	राजेश बाबू	राजेश बाबू
⑥	जयवीर बाबू	जयवीर बाबू
⑦	मोहन बाबू	मोहन बाबू
⑧	देवादास	देवादास
⑨	श्री गंगाराम बाबू	श्री गंगाराम बाबू



दिनांक 17/03/15 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 2015-16

योजना का नाम- राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	राजीव राय	राजीव राय
02	जगदीश राय	जगदीश राय
03	मल्लवी राय	मल्लवी
04	शान्ति राय	शान्ति
05	मोहन लाल	मोहन लाल
06	कमलेश राय	विष्णु राय
07	विक्रमेश राय	विष्णु राय
08	निफन राय	विष्णु राय
09	विमल कुमार	विष्णु राय
10	रत्न राय	विष्णु राय
11	जयचंद राय	विष्णु राय
12	कुमार राय	विष्णु राय
13	रामेश राय	विष्णु राय
14	उमेश राय	विष्णु राय
15	अशुनी पाल	विष्णु राय
16	सतपाल राय	विष्णु राय
17	राजेश राय	विष्णु राय
18	लुश पाल	विष्णु राय
19	मनवान राय	विष्णु राय
20	विजय राय	विष्णु राय
21	शान्ति राय	विष्णु राय
22	मन राय	विष्णु राय
23	मन राय	विष्णु राय
24	रत्न राय	विष्णु राय
25	मन राय	विष्णु राय
26	पुष्प राय	विष्णु राय
27	पुष्प राय	विष्णु राय
28	मन राय	विष्णु राय
29	उपेन्द्र राय	विष्णु राय
30	मुलापम राय	विष्णु राय



**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.uttarkhashi..district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/ Indudhar Baurai I.A.S district magistrate uttarkashi on dated .1.9.19.2015..... .at uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring **1.525. hect** for the construction of khand gaon to Rountal motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...uttarkashi.....

Dated:..19.10.2015


(Indudhar Baurai)

District Magistrate-uttarkashi

**It is cetified that –Minutes of meeting of Khand gaon to Rauntal road
(Length 4.75 Km.) Regarding FRA is as following:-**

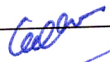
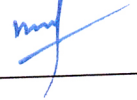
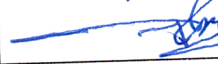
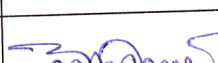
Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 1.525 Het of forest area proposed for diversion. A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recogninied rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.


(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-chairman
District Level Committee
Uttarkashi

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिति, जिला-उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/8/2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री इन्दुधर बौडाई	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	
3	श्री विजय बहादुर	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	
4	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डुधवाड़ा	

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे० आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि 2.3625 हे० भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रौतल
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

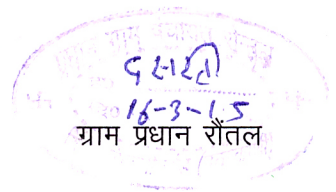
उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खाण्ड गांव से रौतल परियोजना के निर्माण हेतु (1.525 हे०) आरक्षित वन भूमि, ----- हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि ----- हे०) अर्थात् कुल 1.525 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौतल द्वारा दिनांक 16/3/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौतल गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत सचिव
16-3-15



दिनांक 16/3/11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रीतल

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्रभाषि बिमलवाण S/o महावीर बिमलवाण	
2	रमेश S/o पारसनाथ बिमलवाण	
3	शान्तिराम S/o कमल	
4	रामजी S/o कमल प्रसाद	
5	कलिराम S/o जगदीश	
6	गोबरधन S/o जगदीश	
7	मोताराम S/o कलिराम	
8	कन्हैया S/o अवधनन्द	
9	गुणानन्द S/o रामेश्वर	
10	रामकृष्ण S/o पुरुषोत्तम	
11	शम्भू प्रसाद S/o रामेश्वर	
12	रमेश S/o सुन्दर लाल	
13	गयाप्रसाद S/o त्रद्विपिय	
14	महिमानन्द S/o त्रद्विपिय	
15	सुरजीधर S/o जगदीश	
16	केलाश S/o साददानन्द	
17	सुर्यभाषि S/o इन्द्रदेव	
18	लीलानन्द S/o विद्यासागर	
19	पूगानन्द नौतिवाल S/o स्व. राजेन्द्र	
20	रामाराम दिलवाण S/o स्व. श्री जगदीश	
21	प्रकाश बिमलवाण S/o बृतेश्वर	
22	कमल S/o लक्ष्मीकान्त अहिर	
23	धिमोद नौतिवाल S/o पूगानन्द	
24	गंगाराम S/o स्व. कुलानन्द मिश्रा	
25	शकेश मिश्रा S/o हनीराम	
26	रामप्रसाद नौतिवाल S/o उंकार	
27	मुनील नौतिवाल S/o सम्पन्न हर्षभाषि	
28	सुभाष नौतिवाल S/o रामचन्द्र	
29	शरवेश नौतिवाल S/o प्रकाश	
30	मुरारी नौतिवाल S/o जगदीश	

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.525 हे०) आरक्षित वन भूमि, ~~4~~ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ~~...~~ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल (1.525 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 12/6/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बी० एन० शुक्ला उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1- | श्री बी०एन० शुक्ला उपजिलाधिकारी डुण्डा | अध्यक्ष |
| 2- | श्री आर०बी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू | वन क्षेत्राधिकारी |
| 3- | श्री संजय लिंगवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ | धरासू क्षेत्राधिकारी |
| 4- | श्री बिजेन्द्र सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़ | उत्तरकाशी वन प्रभाग |
- सदस्य / सचिव
- सदस्य
- सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ (उत्तर)
- 15-06

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.525 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 12/6/2014 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम खाण्ड गांव से रौतल मोटर

मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बी0एन0 शुक्ला	उपजिलाधिकारी डुण्डा	उप जिलाधिकारी डुण्डा
2	श्री आर0बी0 सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	वन क्षेत्रीय अधिकारी धरासू वन राजि
3	संजय लिंगवाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
4	श्री बिजेन्द्र सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड़	क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़